कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 19 / 2019 (अपील)

उनवान

श्रीमती निर्मला मीणा पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल मीना निवासी 4 के 1, कच्ची बस्ती, गणेश नगर, पानी की टंकी के पास, विस्तार योजना संजय नगर, विज्ञान नगर, कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा, कोटा (सिटी)

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्रीमती निर्मला मीणा (अपीलाण्ट स्वंय)

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय बाल विकास परियोजना कोटा शहर दिनांक 02.01.2019 कमांक 1611–13 अन्तर्गत परिपत्र अति0 मुख्य सचिव महिला एंव बाल विकास विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र कम 68163–647 दिनांक 23.07.2015

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील रेस्पोडेण्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटा (सीटी) द्वारा मानदेय सेवा से पृथक करने के आदेश दिनांक 02.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। तथा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा शहर अपील पर टिप्पणी चाहे जाने पर उनके पत्रांक 113 दिनांक 15.05.2019 से सम्बन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को सुना गया।

3. अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट आगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में बाल विकास परियोजना गणेश नगर कच्ची बस्ती आंगनबाडी पाठशाला कोटा में कार्यरत है तथा मेहनत व ईमानदारी से कार्य करती चली आ रही है। प्रार्थीनी को रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 23.02.2018 के नोकरी पर लेना बंन्द कर दिया, अर्थात केन्द्र पर कार्य करने से इण्कार कर दिया । इस पर प्रार्थीनी ने अधिवक्ता के जर्ये दिनांक 11.01.2019 को एक नोटिस रेस्पोडेण्ट को भिजवाया गया जिसके जवाब में रेस्पोडेण्ट द्वारा एक पत्र अपीलाण्ट के अधिवक्ता के पास भिजवाया गया, जो दिनांक 02.01.2019 को जारी किया गया था, जिसमें प्रार्थीनी को सेवा से पृथक किया जाना दर्ज किया गया है। प्रार्थिनी को सेवा से पृथक करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। केवल एकतरफा आर्बीट्रेरी कार्यवाही की गई है, जो प्रिन्सीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थीनी पर उक्त आदेश में जो आरोप लगाऐ गये है, वह निराधार है, तथा झूठे आरोपों के आधार पर प्रार्थीनी को गिरफतार किया गया था, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जावेगा, परन्तु रेस्पाडेण्ट द्वारा प्रार्थीनी को उससे पूर्व ही दोषी करार दे दिया गया है। प्रार्थीनी निर्दोष है। प्रार्थीनी को झूंठा फसाया गया है। अतः निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट के आदेश दिनांक 02.01.2019 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीनी को पुनः ड्यूटि पर लिऐ जाने के आदेश प्रदान किऐ जावे।

3 अपीलाण्ट को सुना जाकर प्रस्तुत अपील पत्रावली एंव कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा शहर से प्राप्त उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 का अवलोकन करने पर यह पाते है कि कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा के अनुसार अपीलाण्ट प्रार्थीनी निर्मला मीणा आंगनबाडी केन्द्र गणेश नगर पर लम्बे समय से कार्यरत रहीं है। दिनांक 22.12.2019 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार के अनुसार आंगनबाडी परिसर के पास वाले कमरे मे श्रीमती निर्मला मीणा अन्य दो महिलाओं के साथ अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाई गई, तीनों महिलाओं को पीटा एक्ट में गिरफतार कर थाने में बन्द कर दिया गया, दिनांक 23.12.2018 को अवकाश कालीन अदालत में पेश किया गया वहां से कारागृह में भेज दिया गया। श्री मती मीणा दिनांक 23.12.2018 से लेकर दिनांक 03.01.2019 तक सेन्ट्ल कारागृह कोटा में रही है। अनैतिक देह व्यापार में पकडे जाने पर सम्बन्धित पुलिस थाना विज्ञान नगर में दर्ज एफआईआर कमांक 5515 दिनांक 22.12.2018 के आधार पर मानदेय सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किऐ गये है। परिणामतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं पाते हुऐ खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा